पाँच रुपये FIVE RUPEES
दस रुपये TEN RUPEES

(81) 15/-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी

R 2301-III/06

किशोरसिंह पुत्र हरगोविन्द जाति कमरिया
आयु-५५ वर्ष, व्यवसाय-कृषि
निवासी-ग्राम जौन्हार तहसील व जिला
दतिया म०प्र०

-- आवेदक

श्री ...... द्वारा आज दि० 11-12-06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

१- मध्यप्रदेशशासन द्वारा कलैक्टर वास्ते अपर कलैक्टर, दतिया

२- अनुविभागीय अधिकारी जिला दतिया (म०प्र०)

-- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गतधारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २९-११-२००६ श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर संभागग्वालियर जो प्रकरण क्रमांक ४८१/०५-०६ अपील में पारित किया गया।

11.12.06

माननीयन्यायालय,

आवेदक -पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण निम्नप्रकार प्रस्तुतहै-

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य-

१- यहकि प्रार्थी-आवेदक के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक १७०८/बी/१२१/२००१-०२ के अन्तर्गत प्रार्थी के खाते की भूमि में स्थित शासकीय कुआं का व्यवस्थापन प्रार्थी के हित में किया गया था।

-२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 230–दो/2006 निगरानी जिला दतिया

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24/12/18 | उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 481/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–11–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के प्रकरण क्रमांक 1708–बी–121/2001–02 में ग्राम जोन्हार स्थित कूप व्यवस्थापन के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 3–3–06 पर से प्रकरण प्रांरभ है एंव इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अपर कलेक्टर दतिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर दतिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 28/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–8–06 से अपील अस्वीकार हुई, जिसके विरूद्व अपर अयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 481/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–11–2006 निगरानी अस्वीकार की गई है, जिसके विरूद्व यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जबकि संहिता की किसी भी धारा में कूप व्यवस्थापन का विषय समाहित नहीं है जिसके कारण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।<br>3/ शासकीय कूप (कुआ) व्यवस्थापन मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग व्दारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप | |

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक 963/16–110/77/सात/2 दिनांक 4 जून, 1970 में कूप व्यवस्थापन पर अपील/निगरानी की निम्नानुसार व्यवस्था है :–

- प्रदेश में शासकीय कुओं का व्यवस्थापन पूर्ववत अनुविभागीय अधिकारी व्दारा किया जाता रहेगा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व केवल एक अपील जिलाध्यक्ष को हागी। अपील में जिलाध्यक्ष व्दारा पारित आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर या स्वप्रेरणा में पुनरावलोकन सुनने का अधिकार आयुक्त को होगा।

स्पष्ट है कि आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश अंतिम है जिसके विरूद्व अपील निगरानी की आगे व्यवस्था उक्त ज्ञापन में नहीं दी गई है जिसके कारण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य